**संख्या-11/2025/।/871658/2025/001-71-2002-002-2-2023**

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांक-05-02-2025**

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक (मुख्य चिकित्सा भवन) के छठे एवं सातवें तल पर किडनी, लीवर एवं बोन मैरो ट्रान्सप्लाटेन्शन सेन्टर के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2659/विद्युत/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/2025, दिनांक 09 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24-वृहद निर्माण मद के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक (मुख्य चिकित्सा भवन) के छठे एवं सातवें तल पर किडनी, लीवर एवं बोन मैरो ट्रान्सप्लाटेन्शन सेन्टर के निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि अवमुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या-97/2023/।/379387/2023/001-71-2002-002-2-2023, दिनांक 01.09.2023 द्वारा धनराशि रू0 1822.11 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए परियोजना की प्रथम किश्त की धनराशि रू0 455.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक (मुख्य चिकित्सा भवन) के छठे एवं सातवें तल पर किडनी, लीवर एवं बोन मैरो ट्रान्सप्लाटेन्शन सेन्टर के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में संस्थान में वृहद निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 1366.59 लाख (रुपये तेरह करोड़ छियासठ लाख उनसठ हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से धनराशि रू0 1079.61 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0 286.98 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

**<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>**

1. प्रायोजना में निहित ऐसी कार्यमदें जो कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची वर्ष 2022 तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्ष 2021 की दर अनुसूची में नहीं है, तथा जिनकों बाजार दरों कोटेशन पर आधारित किया गया है, को इन्डीकेटिव दरे मानते हुए लागत का परीक्षण किया

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गया है। इन दरों को न्यूनतम एवं वास्तविक दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्वक निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था को होगा।

2. प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
4. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राक्कलन में निर्धारित विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निदेशक संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
7. प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-97/2023/1/379387/2023/001-71-2002-002-2-2023, दिनांक 01.09.2023 में उल्लिखित शर्तो का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/ महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
10. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 10,79,61,000 (रुपये दस करोड़ उनासी लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य ( 2 ) रुपये 2,86,98,000 (रुपये दो करोड़ छियासी लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

**संख्या-11/2025/I/871658/2025/001-71-2002-002-2-2023, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasa

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।